मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अन्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2008—आश्विन 4, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्र. एफ. -02-01-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"4. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यक्ति जहां निरुद्ध रहा हो, यथा-जेल/पुलिस थाना का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने संबंधी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निरुद्ध अवधि संबंधी जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा. जेल की दशा में जेल अधीक्षक, पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की दशा में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.".

2. नियम 14 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) इन नियमों के अधीन सम्मान निधि राशि के लिए आवेदन-पत्र (सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो सहित) संलग्न प्रपत्र में जिन आधारों पर सम्मान निधि का दावा किया गया हो उसका पूरा ब्यौरा देते हुए तथा मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध होने संबंधी पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत किये जाएँगे. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने संबंधी जारी प्रमाण पत्रों को पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से पुष्टि के बाद प्रकरण को जिला स्तरीय समिति के समक्ष जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रखा जाएगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. सत्यम, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.